



2026:AHC:16858

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 11482 वर्ष 2024

यशदीप और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जय शंकर मिश्रा, शरदेंदु मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शारदेंदु मिश्रा और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि वहाँ जेल वार्डर मौजूद थे और वे भोजन भत्ता के हकदार हैं, पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा पुलिस महानिदेशक को दिनांक 03.12.2016 को एक सिफारिश की गई है।
3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिपक्षी को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या तीसरे प्रतिपक्षी, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, जेल प्रशासन और सुधार सेवा, उत्तर प्रदेश शासकीय, लखनऊ द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. प्रतिपक्षी की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस प्रकार किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए, जो इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

यदि तीसरे प्रतिपक्षी की राय है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)